ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow
(Uttar Pradesh State Government University)

संख्या– 1889/भा.विवि / कुसका / 2023 दिनांक : 08 नवम्बर, 2023

30वीं कार्य परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को अपरान्ह 04:00 बजे आचार्य नरेन्द्र देव प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्यपरिषद् की 30वीं बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे:–

1.	प्रो0 एन0बी0 सिंह, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार ओझा (से.नि.), निवास 3/494, विकल्प खण्ड गोमती नगर, लखनऊ–226010	न्यायिक सदस्य
3.	प्रो0 जयशंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायन वोकेशनल पी0जी0 कॉलेज (के0के0वी0), चारबाग, लखनऊ।	सदस्य
4.	प्रो0 ललिता राव, सेवानिवृत्त–बी0एड0 विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी0जी0 कॉलेज, वाराणसी। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
5.	प्रो0 सुधांशु पांड्या, डीन एवं डायरेक्टर–स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल सी0एस0जे0एम0 यूनिवर्सिटी, कानपुर।	सदस्य
6.	श्री फौजान अलवी, एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, 10 सिन्धिया हाउस, ।। तल, कलाट प्लेस, नई दिल्ली (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
7.	डॉ0 तत्हीर फात्मा, संकायाध्यक्ष–विज्ञान	सदस्य
8.	प्रो0 मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष–कला एवं मानविकी	सदस्य
9.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, आचार्य–वाणिज्य, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
10.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
11.	प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, आचार्य–उर्दू विभाग।	सदस्य
12.	प्रो0 चन्दना डे, आचार्य–शिक्षाशास्त्र विभाग	सदस्य
13.	डॉ0 मोहम्मद शारिक, सहायक आचार्य–शारीरिक शिक्षा विभाग	सदस्य
14.	डॉ0 अताउर्रहमान आज़मी, सहायक आचार्य–व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
15.	श्री साजिद आज़मी, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्रित
16.	डॉ0 भावना मिश्रा, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और तदोपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिया गया:–

Bmisha

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–30.1 :

कार्य परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 14 अगस्त, 2023 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 14 अगस्त, 2023 की कार्यवृत्त का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या–30.2 :

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2023 की संलग्न कार्यवृत्त के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2023 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या–30.3 :

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या–30.4 :

कार्य परिषद् की 29वीं बैठक दिनांक 14 अगस्त, 2023 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की 29वीं बैठक दिनांक 14 अगस्त, 2023 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–30.5 :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2023 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2023 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–30.6 :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

Anisha

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–30.7 :

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2023 एवं 20 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2023 एवं 20 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–30.8 :

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद द्वारा परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–30.9 :

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्यपरिषद द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–30.10 :

वित्त समिति की 23वीं बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति की 23वीं बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–30.11 :

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022–23 का दीक्षान्त समारोह दिनांक 04–01–2024 को आयोजित किये जाने सम्बन्धी कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–7398/24–जी0एस0/2022–V दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 से कार्य परिषद् को संसूचित करते हुए मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के नाम पर विचार।

Anisha

4/–

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :

कार्य परिषद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022–23 का दीक्षान्त समारोह दिनांक 04–01–2024 को आयोजित किये जाने सम्बन्धी कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–7398/24–जी0एस0/2022–v दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 से संसूचित हुयी तथा दीक्षान्त समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री योगेन्द्र उपाध्याय, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग तथा श्रीमती रजनी तिवारी, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग को बुलाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा मुख्य अतिथि के रूप में उपलब्धता के अनुसार निम्नलिखित नामों में से किन्ही 03 नामों का चयन किये जाने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत करते हुए मुख्य अतिथि के नाम को राज्यपाल सचिवालय प्रेषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. श्री आरिफ मोहम्मद खॉन
2. श्रीमती ऋतु करिधल
3. प्रो0 पंजाब सिंह
4. प्रो0 कपिल कपूर
5. प्रो0 प्रदीप कुमार जोशी

बिन्दु संख्या–30.12 :

श्री गजेन्द्र सोलंकी, नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये विश्वविद्यालय कुलगीत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा श्री गजेन्द्र सोलंकी, नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये विश्वविद्यालय कुलगीत पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–30.13 :

रिट ए याचिका संख्या–25824/2020 मूसी रज़ा बनाम अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन डॉ0 मूसी रज़ा को सहायक आचार्य–उर्दू विभाग के पद पर प्रदान की गयी नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा रिट ए याचिका संख्या–25824/2020 मूसी रज़ा बनाम अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन डॉ0 मूसी रज़ा को सहायक आचार्य–उर्दू विभाग के पद पर प्रदान की गयी नियुक्ति से परिषद् संसूचित हुई।

बिन्दु संख्या–30.14 :

विश्वविद्यालय के 13 शोधार्थियों को प्रदान की गयी पी0एच0डी0 उपाधि से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

Anisha

5/–

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :

कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के 13 शोधार्थियों को प्रदान की गयी पी0एच0डी0 उपाधि से संसूचित हुयी तथा आगामी विद्या परिषद् की बैठक तक पी0एच0डी0 उपाधि पूर्ण करने वाले वाले शोधार्थियों को भी 04 जनवरी, 2023 को आयोजित दीक्षान्त में उपाधि प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–30.15 :

विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में आयोजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–503/2023 में अनुतोष न मिलने के दृष्टिगत डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना, सहायक आचार्य को बहाल करते हुए पुनः राजनीतिशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने से कार्य परिषद् की संसूचित किया जाना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में आयोजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–503/2023 में अनुतोष न मिलने के दृष्टिगत डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना, सहायक आचार्य को बहाल करते हुए पुनः राजनीतिशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–30.16 :

श्रीमती आकांक्षा सिंह, सहायक आचार्य (संविदा), अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की विगत कई माह से अनुपस्थिति के दृष्टिगत कार्य परिषद् की 29वीं बैठक के बिन्दु संख्या–29.14 में लिये गये निर्णय के क्रम में उन्हें प्रदान किये गये 01 माह का अन्तिम अवसर व्यतीत होने उपरान्त भी श्रीमती आकांक्षा सिंह के उपस्थित नहीं होने के कारण सहायक आचार्य (संविदा) इलेक्ट्रोनिक्स के पद को रिक्त घोषित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा श्रीमती आकांक्षा सिंह, सहायक आचार्य (संविदा), अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की विगत कई माह से अनुपस्थिति के दृष्टिगत कार्य परिषद् की 29वीं बैठक के बिन्दु संख्या–29.14 में लिये गये निर्णय के क्रम में उन्हें प्रदान किये गये 01 माह का अन्तिम अवसर व्यतीत होने उपरान्त भी श्रीमती आकांक्षा सिंह के उपस्थित नहीं होने के कारण सहायक आचार्य (संविदा) इलेक्ट्रॉनिक्स की संविदा को निरस्त करते हुए सहायक आचार्य (संविदा)–इलेक्ट्रॉनिक्स के पद को रिक्त घोषित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–30.17 :

विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में अंकित परिशिष्ट 'क' के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में अध्यापन वर्ग के सदस्यों के साथ करार (अनुबन्ध) पत्र कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

Bnisha

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में अंकित परिशिष्ट 'क' के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में अध्यापन वर्ग के सदस्यों के साथ करार (अनुबन्ध) पत्र कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–30.18 :

विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में अंकित परिशिष्ट 'ख' के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए आचार संहिता के अनुपालन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में अंकित परिशिष्ट 'ख' के अन्तर्गत अंकित आचार संहिता का प्रोफार्मा विश्वविद्यालय के अध्यापकों से भरवाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–30.19 :

विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु उपार्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, अध्ययन अवकाश, असाधारण अवकाश एवं अन्य अवकाशों के आवेदन प्रारूप के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु उपार्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, अध्ययन अवकाश, असाधारण अवकाश एवं अन्य अवकाशों के आवेदन प्रारूप को स्वीकृत करते हुए सभी शिक्षकों पर लागू किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–30.20 :

विद्या परिषद् की 15वीं बैठक दिनांक 08 अगस्त 2023 के बिन्दु संख्या–07 के निर्णयानुक्रम में विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संकाय एवं विभागों के नामों में एकरूपता लाये जाने हेतु समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्क्रमों एवं विभागों के नामों का हिन्दी अनुवाद किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर कार्य परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किये जाने पर विचार।

निर्णय :

विद्या परिषद् की 15वीं बैठक दिनांक 08 अगस्त 2023 के बिन्दु संख्या–07 के निर्णयानुक्रम में विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संकाय एवं विभागों के नामों में एकरूपता लाये जाने हेतु समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्क्रमों एवं विभागों के नामों का हिन्दी अनुवाद किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–30.21 :

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित नवीन पाठ्यक्रमों में नियुक्ति किये जाने हेतु रोस्टर पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित नवीन पाठ्यक्रमों में नियुक्ति प्रक्रिया रोस्टर पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–30.22 :

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित जिन विभाग में संकायाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष नहीं है, उनके चयन समिति में उस विभाग के संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का प्रतिनिधितत्व करने हेतु शिक्षकों को नामित किए जाने पर विचार।

निर्णय :

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित जिन विभाग में संकायाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष नहीं है, उनके चयन समिति में उस विभाग के संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का प्रतिनिधितत्व करने हेतु शिक्षकों को नामित किये जाने हेतु वरिष्ठ शिक्षकों, वित्त अधिकारी एवं कुलसिचव की एक समिति गठित करते हुए समिति की संस्तुति आगामी कार्य परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–30.23 :

विश्वविद्यालय के वित्तपोषित नियमित विभाग जिनमें पद सृजन उ0प्र0 शासन के द्वारा किया गया है, संकायाध्यक्ष व विभागाध्यक्ष उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित विभागों की चयन समितिमें संकायाध्यक्ष व विभागाध्यक्ष का प्रतिनिधितत्व किए जाने वाले शिक्षकों के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

विश्वविद्यालय के वित्तपोषित नियमित विभाग जिनमें पद सृजन उ0प्र0 शासन के द्वारा किया गया है, संकायाध्यक्ष व विभागाध्यक्ष उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित विभागों की चयन समिति में संकायाध्यक्ष व विभागाध्यक्ष का प्रतिनिधितत्व किए जाने वाले शिक्षकों को नामित किये जाने हेतु वरिष्ठ शिक्षकों, वित्त अधिकारी एवं कुलसिचव की एक समिति गठित करते हुए समिति की संस्तुति आगामी कार्य परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु :

अन्य बिन्दु संख्या–30(1) :

डॉ0 आरिफ अब्बास, निलम्बित सहायक आचार्य द्वारा अपने निलम्बन के विरुद्ध उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–68 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत आवेदन को राज्यपाल सचिवालय द्वारा निरस्त किये जाने से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

Manisha

8/–

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :

डॉ0 आरिफ अब्बास, निलम्बित सहायक आचार्य द्वारा अपने निलम्बन के विरूद्ध उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–68 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल/ कुलाधिपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत आवेदन को राज्यपाल सचिवालय द्वारा निरस्त किये जाने सम्बन्धी पत्र से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

अन्य बिन्दु संख्या–30(2) :

अध्यक्ष–अनुशासनिक समिति द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के साथ–साथ विभिन्न शिक्षकों की अर्हता, नियुक्ति प्रक्रिया एवं अन्य बिन्दुओं की जांच पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 30–11–2023 तक का समय प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

अध्यक्ष–अनुशासनिक समिति द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के साथ–साथ विभिन्न शिक्षकों की अर्हता, नियुक्ति प्रक्रिया एवं अन्य बिन्दुओं की जांच पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 30–11–2023 तक का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–30(3) :

श्री शबीह हैदर, लेखाकार की नियुक्ति/पदोन्नति हेतु प्रचलित जांच की समयावधि 01 माह बढ़ाये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा श्री शबीह हैदर, लेखाकार की नियुक्ति/पदोन्नति हेतु प्रचलित जांच की समयावधि 01 माह बढ़ाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–30(4) :

शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी किये जाने हेतु राज्यपाल सचिवालय के निर्गत आदेश संख्या– ई–3019/32–जी0एस0/2020 दिनांक 18 मई, 2021, आदेश संख्या–ई– 4229/ जी0एस0, दिनांक 02 जुलाई, 2021, कार्यालय–ज्ञाप संख्या–ई–2385/ जी0एस0, दिनांक 28 अप्रैल, 2022 एवं कार्यालय–ज्ञाप संख्या–ई–3047/जी0एस0 दिनांक 22 मई, 223 को अंगीकृत कर लागू किये जाने पर विचार।

निर्णय :

शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी किये जाने हेतु राज्यपाल सचिवालय के निर्गत आदेश संख्या– ई–3019/32–जी0एस0/2020 दिनांक 18 मई, 2021, आदेश संख्या ई–4229/जी0एस0, दिनांक 02 जुलाई, 2021, कार्यालय–ज्ञाप संख्या–ई–2385/ जी0एस0, दिनांक 28 अप्रैल, 2022 एवं कार्यालय–ज्ञाप संख्या–ई–3047/जी0एस0 दिनांक 22 मई, 223 को अंगीकृत कर लागू किये जाने पर कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

Amisha

9/–

Scanned with OKEN Scanner

अन्य बिन्दु संख्या–30(5) :

माननीय राज्यपाल महोदया, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश पत्र संख्या–ई–2123/जी0एस0 दिनांक 16 अप्रैल, 2022 द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में लागू बायोमैट्रिक उपस्थिति न लगाये जाने (अपवाद की स्थिति को छोड़कर) को कदाचार मानते हुये सम्बन्धित पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

माननीय राज्यपाल महोदया, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश पत्र संख्या–ई–2123/जी0एस0 दिनांक 16 अप्रैल, 2022 द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में लागू बायोमैट्रिक उपस्थिति न लगाये जाने (अपवाद की स्थिति को छोड़कर) को कदाचार मानते हुये सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–30(6) :

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–50 की उपधारा (6) के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली में शासनादेश संख्या–600/सत्तर–1– 2019–16(114)/2010 दिनांक 28 जून, 2019 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्त हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018" को सम्मिलित करने के आदेश को अंगीकृत किया जाना।

निर्णय :

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–50 की उपधारा (6) के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली में शासनादेश संख्या–600/सत्तर–1– 2019–16(114)/2010 दिनांक 28 जून, 2019 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्त हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018" को सम्मिलित करने के आदेश को अंगीकृत किये जाने पर कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–30(7) :

विश्वविद्यालय के विविध संकायों/पाठ्यक्रमों एवं अन्य बिन्दुओं को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में समाहित किये जाने सम्बन्धी कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के विविध संकायों/पाठ्यक्रमों एवं अन्य बिन्दुओं को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में समाहित किये जाने सम्बन्धी कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

amisha

Scanned with OKEN Scanner

अन्य बिन्दु संख्या—30(8) :

PMUSHA के अन्तर्गत गठित बोर्ड ऑफ गवनर्नस की बैठक में रू. 100 करोड़, 20 करोड़ के अनुदान हेतु शासन को प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव एवं सम्बन्धित कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा PMUSHA के अन्तर्गत गठित बोर्ड ऑफ गवनर्नस की बैठक में MERU के अन्तर्गत रू. 100 करोड़ एवं PMUSHA के अन्तर्गत 20 करोड़ के अनुदान हेतु शासन के ऑनलाइन प्रेषित प्रपत्र जो कि बोर्ड ऑफ गवनर्नस द्वारा संस्तुति किया गया था, अनुमोदन प्रदान किया गया ।

अन्य बिन्दु संख्या—30(9) :

डॉ0 आरिफ अब्बास, निलम्बित सहायक आचार्य—फारसी विभाग के विरूद्ध गठित अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 आरिफ अब्बास, निलम्बित सहायक आचार्य—फारसी विभाग के विरूद्ध गठित अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अवलोकनोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया:—

1. **सम्बन्धित शिक्षकों यथा डॉ0 आरिफ अब्बास, निलम्बित सहायक आचार्य एवं डॉ0 सिद्धार्थ सुदीप, सहायक आचार्य—उर्दू को अनुशासनिक समिति की जाँच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए 15 दिवस के भीतर उनका अभ्यावेदन प्राप्त कर लिया जाये।**
2. **डॉ0 आरिफ अब्बास, निलम्बित सहायक आचार्य से प्राप्त अभ्यावेदन को आगामी कार्य परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

अन्य बिन्दु संख्या—30(10) :

डॉ0 तत्हीर फात्मा, सह आचार्य—गृह विज्ञान द्वारा कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14—08—2023 के बिन्दु संख्या—29.17 में प्रदत्त निर्देशों की अवहेलना कर मनमाना आचरण किये जाने के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

प्रकरण के सम्बन्ध में डॉ0 तत्हीर फात्मा, विभागाध्यक्ष—गृह विज्ञान विभाग को कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14—08—2023 में लिये गये निर्णय के क्रम में कुलसचिव द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26—08—2023 एवं पी.एच0डी0 समन्वयक द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 01—09—2023 व तत्सम्बन्ध में प्राप्त डॉ0 तत्हीर फात्मा के पत्र दिनांक 05—09—2023 से कार्य परिषद् को अवगत कराया गया। सम्यक् विचारोपरान्त मा0 कार्य परिषद् द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया:—

11/—

Bmisha

Scanned with OKEN Scanner

डॉ० तत्हीर फात्मा, सह आचार्य–गृह विज्ञान द्वारा कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14–08–2023 के बिन्दु संख्या–29.17 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन न करने को कदाचार एवं अनुशासनहीनता मानते हुए डॉ० तत्हीर फात्मा के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव / सचिव

(प्रो० एन०बी० सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner